दिनांक 29 अगस्त, 2014 को माननीय कुलपति जी की अध्यक्षता में पूर्वान्ह 11.00 बजे विश्वविद्यालय सभागार में सम्पन्न विद्या परिषद की छठी बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में निम्न ने प्रतिभाग किया :

1.	प्रोफेसर सुभाष धूलिया, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।	अध्यक्ष
2.	प्रोफेसर आर0सी0 पंत, पूर्व कुलपति, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल।	सदस्य
3.	प्रोफेसर बी0एस0 सारस्वत आचार्य, रसायनशास्त्र, इग्नू, अरूणा आसफ अली मार्ग नई दिल्ली।	सदस्य
5.	प्रोफेसर आर0सी0 मिश्र, निदेशक, प्रबन्ध अध्ययन एवं वाणिज्य, विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
6.	प्रोफेसर गोविन्द सिंह, निदेशक, मानविकी विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0,हल्द्वानी।	सदस्य
7.	प्रोफेसर जे0के0 जोशी, निदेशक, शिक्षाशास्त्र विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य
8.	प्रोफेसर एच.पी. शुक्ल, निदेशक, भाषा विज्ञान विद्या शाखा, उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।	सदस्य

9. प्रोफेसर दुर्गेश पंत, सदस्य
निदेशक, कम्प्यूटर एवं सूचना विज्ञान, विद्या शाखा,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

10. डॉ देवेश कुमार मिश्रा, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, सस्कृत,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

11. डॉ0 सूर्यभान सिंह, सदस्य
सहायक प्राध्यापक, राजनीति शास्त्र,
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

12. श्री लक्ष्मण सिंह रावत, सदस्य सचिव
कुलसचिव
उ0मु0वि0वि0, हल्द्वानी।

सर्वप्रथम कुलसचिव(सचिव विद्या परिषद) द्वारा कुलपति (अध्यक्ष) तथा सभी उपस्थित सदस्यों का विद्या परिषद की छठी बैठक में स्वागत किया गया। तदुपरान्त परिषद द्वारा कार्यसूची पर विचार किया गया तथा निम्नवत् प्रस्ताव स्वीकार किये गये:-

प्रस्ताव संख्या 6.01- विद्या परिषद की पंचम बैठक दिनांक 02 मई, 2013 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

विद्या परिषद की पंचम बैठक दिनांक 02 मई, 2013 के कार्यवृत्त का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या- 6.02 विद्या परिषद की पंचम बैठक दिनांक 02 मई, 2013 के निर्णयों पर कृत कार्यवाही।

परिषद द्वारा कृत कार्यवाही का अवलोकन किया गया तथा उस पर संतोष व्यक्त किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.03- विश्वविद्यालय विद्या शाखाओं के विद्याशाखा बोर्डों (Board of Studies) की संस्तुतियों पर विचार एवं अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

उपरोक्त से परिषद अवगत हुई तथा अध्ययन बोर्डों की वर्तमान तथा नये पाठ्यक्रमों की संस्तुतियों का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.04- नवीन विषयों में पीएच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु 'कोर्स वर्क' का अनुमोदन।

उपरोक्त विषय पर परिषद द्वारा कार्यसूची के 'संलग्नक ग' में प्रस्तुत पीएच0डी 'कोर्स वर्क' (वाणिज्य, प्रबंध अध्ययन तथा योग विज्ञान) का अनुमोदन किया गया, किन्तु व्यापक विचार विमर्श के पश्चात् परिषद का मत था कि

पीएच0 डी0 कार्यक्रम को भविष्य में फिलहाल रोक दिया जाय जब तक कि इस सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, यू0जी0सी से स्पष्ट स्वीकृति एवं स्पष्ट नीति प्राप्त न हो जाय।

प्रस्ताव संख्या 6.05 – विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों के संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से प्राप्त पत्र संख्या-1346-1350/UGC/DEB/Recog./2013 दिनांक 26 अगस्त 2013 द्वारा उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों को मान्यता दी गई है, कुछ पाठ्यक्रम को अस्वीकार किया गया है, तथा कुछ पाठ्यक्रमों की चर्चा ही नहीं की गई है। परिषद को सूचित किया गया कि जिन पाठ्यक्रमों की मान्यता प्रदान नहीं की गई है, अथवा जिन पाठ्यक्रमों का कोई उल्लेख नहीं है उनके सम्बन्ध में दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो को निर्धारित प्रारूप मे आवेदन किया गया है, पत्र लिखे गये हैं तथा वार्ता की गई है। परिषद का स्पष्ट मत था कि डी.ई.बी. (DEB) की यह व्यवस्था उचित नहीं है; वास्तव में किन पाठ्यक्रमों को मान्यता देनी है और किन्हें नहीं, यह विद्या-परिषद के अधिकार-क्षेत्र में रहा है, और होना भी चाहिए। किन्तु, विद्या-परिषद ने डी.ई.बी. (DEB) के स्तर पर और अधिक सक्रिय कार्यवाही किये जाने का मत व्यक्त किया।

प्रस्ताव संख्या 6.06 – विश्वविद्यालय द्वारा EduSat कार्यक्रम संचालन प्रस्ताव।

उत्तराखण्ड शासन (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) के शासनादेश सं0 133/XXXXVIII/14-26/2013 दिनांक 19 मार्च, 2014 द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है। परिषद को इस सम्बन्ध में हुई प्रगति से अवगत कराया गया तथा दूरस्थ शिक्षा में EduSat के महत्व को रेखांकित किया गया। परिषद ने इस प्रकरण पर संतोष व्यक्त किया किन्तु यह सुझाव भी दिया कि इस सम्बन्ध में कतिपय अंतर्निहित व्यय होते है जिनकी जानकारी बाद में होती है, उस सम्बन्ध में पूर्व में ही व्यापक परीक्षण कर लिया जाय तथा राज्य सरकार से आश्वासन ले लिया जाय, क्योंकि सहमति अनुबन्ध पत्र के बिन्दु 3 में वर्णित है कि U-Sac के द्वारा ₹84,00,000 व्यय किया गया है जबकि इसे इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (IGNOU) से 25,81,075/- प्राप्त हुआ है, अर्थात कही ऐसा न हो कि यह दायित्व बाद में उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय को अंतरित कर दिया जाय। इसी प्रकार शासन के पत्र संख्या 199/XXXVIII/14-26/2013 दिनांक 13 अगस्त, 2014 के पैरा 2 तथा 3 में जिन व्ययों का वर्णन है उनके लिये अतिरिक्त धनराशि विश्वविद्यालय को प्रदान किये जाने हेतु शासन से शीघ्र निवेदन किये जाने का निर्णय लिया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.07 – विश्वविद्यालय द्वारा मिश्रित अधिगम (Blended Mode of Learning) में पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

विद्या परिषद के सम्मुख विश्वविद्यालय द्वारा मिश्रित-अधिगम पद्धति में कतिपय पाठ्यक्रमों के संचालन से सम्बन्धित प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया। परिषद ने इस सम्बन्ध में सैद्धांन्तिक अनुमति प्रदान की तथा इस पद्वति को प्रारम्भ करने के लिए विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने हेतु समिति का गठन करने हेतु माननीय कुलपति को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.08–विश्वविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की पूर्ति हेतु परामर्श सत्रों (Counseling classes) की व्यवस्था को अनिवार्य किये जाने विषयक प्रस्ताव।

परिषद परामर्श सत्रों की व्यवस्था को अनिवार्य किये जाने के प्रस्ताव से अवगत हुई तथा इस सम्बन्ध में परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि परामर्श सत्रों को अनिवार्य किये जाने के स्थान पर सत्रीय कार्य की व्यवस्था सशक्त होनी चाहिए। परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि परामर्श सत्रों **(Counseling classes)** के नियमित आयोजन के लिए क्षेत्रीय केन्द्रों तथा नोडल केन्द्रों को और सक्रिय किया जाय तथा परामर्श-सत्रों का नियमित आयोजन होना चाहिए।

प्रस्ताव संख्या 6.09– विश्वविद्यालय द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों के सत्रीय कार्य (Assignment work) की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नीति निर्धारण प्रस्ताव ।

परिषद द्वारा सत्रीय कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्ताव का अवलोकन किया तथा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया।

प्रस्ताव संख्या 6.10– विश्वविद्यालय के अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित नवीन नियमों के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव।

परिषद द्वारा अध्ययन केन्द्रों की स्थापना हेतु निर्धारित नवीन नियमों का अनुमोदन किया गया तथा प्रस्ताव पर अनुमोदन देते हुये परिषद द्वारा सुझाव दिया गया कि यह निर्णय आवेदक संस्था की विशिष्ट अर्हता एवं संभावना को देखते हुए लिया जाना चाहिए। पैरा 'ख' के अंतर्गत वर्णित 3 बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुलपति जी के द्वारा छूट प्रदान की जा सकती है। प्रस्ताव के अन्य दो प्रस्तरों 'क' तथा 'ग' के अंतर्गत स्वअध्ययन केन्द्रों की स्थापना की व्यवस्था के प्रति सहमति व्यक्त की गयी।

प्रस्ताव संख्या 6.11– विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा जारी विविध अधिसूचनाओं की सूचना।

परिषद, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा विभिन्न पाठ्यक्रमों की नामावली एवं पाठ्यक्रम अवधि तथा संरचना के सम्बन्ध में जारी अधिसूचनाओं से अवगत हुई, तथा इस सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने लिए समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.12– विश्वविद्यालय की विभिन्न विद्याशाखाओं के अंतर्गत रोजगारपरक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारम्भ किये जाने तथा इस हेतु प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने विषयक प्रस्ताव।

सम्बन्धित प्रस्ताव पर सम्यक् चर्चा के उपरांत परिषद ने मत व्यक्त किया कि कौशलपूर्ण एंव रोजगार परक पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षण कार्यक्रम के रूप में चलाया जा सकता है किन्तु किसी भी स्थिति में इन पाठ्यक्रमों की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पूर्ण करने पर प्रशिक्षणार्थी को प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

परिषद ने यह भी मत व्यक्त किया कि वर्तमान में मात्र दो प्रस्ताव यथा स्मृति वर्धक प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा आशुलेखन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम कार्यसूची में वर्णित है। प्रथम चरण में इन्हीं दो पाठ्यक्रमों हेतु संस्तुति की जा रही है, किन्तु भविष्य में इस प्रकार के जो भी प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाँय उन्हें समस्त निर्धारित प्रक्रिया अर्थात विशेषज्ञ समिति, पाठ्य समिति तथा विद्या परिषद की अनुमति के उपरांत ही प्रशिक्षण कार्यक्रमों के रूप में चलाया जा सकेगा।

प्रस्ताव संख्या 6.13– पी0एच0डी0 पाठ्यक्रम हेतु सम्पन्न शोध समिति बैठकों (RDC) की कार्यवाही का अनुमोदन प्रस्ताव।

परिषद के सम्मुख विश्वविद्यालय के निम्न विद्याशाखाओं के अंतर्गत संम्पन्न शोध बैठकों का विवरण प्रस्तुत किया गया-

1. भाषा
2. प्रबंध अध्ययन
3. कम्प्यूटर साइंस एवं सूचना प्रोद्योगिकी
4. समाज विज्ञान विद्याशाखा
5. समाज शास्त्र
6. शिक्षाशास्त्र
7. पत्रकारिता एवं जनसंचार

उपरोक्त समस्त शोध उपाधि समितियों की बैठकों की कार्यवाही विवरण का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.14– विश्वविद्यालय में कार्यरत अकादमिक एसोसिएट्स के काडर (Cadre structure) निर्धारण हेतु प्रस्ताव।

उपरोक्त विषय में परिषद ने असहमति व्यक्त की तथा यह सुझाव दिया कि इस प्रकार की व्यवस्था के लिए स्पष्ट नियम और नीतियॉ निर्धारित की जाँय, जिनके अनुसार अकादमिक एसोसिएट्स को सीमित संख्या में नियोजित किया जाय। इस सम्बन्ध में नीति निर्धारण हेतु समिति के गठन के लिए माननीय कुलपति जी को अधिकृत किया गया।

प्रस्ताव संख्या 6.15– अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव।

6.15.1- शोध उपाधि सलाहकार की बैठक की कार्यवाही के विवरण का अवलोकन कर एवं इसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर परिषद द्वारा विवरण का अनुमोदित किया गया।

6.15.2- शिक्षा शास्त्र विद्याशाखा की दिनांक 12/8/14 की पाठ्य समिति की बैठक में बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्रारम्भ किये जाने के प्रस्ताव को विद्या परिषद के द्वारा सहमति प्रदान की गयी। उक्त के अतिरिक्त बी0एड0 (विशिष्ट शिक्षा) पाठ्यक्रम विषय विशेषज्ञों की सूची का अनुमोदन किया गया।

6.15.3-वन विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा हेतु बनाये गये पाठ्यक्रमों से परिषद अवगत हुई तथा निर्देश दिया कि इन पाठ्यक्रमों को पाठ्य समिति की संस्तुतियों के उपरांत विद्या परिषद की अगली बैठक में पुन: प्रस्तुत किया जाय।

6.15.4-विज्ञान विद्याशाखा के अंतर्गत गणित विषय की पाठ्य समिति की बैठक दिनांक-28/8/14 को परिषद के सम्मुख अवलोकनार्थ/अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया। सम्यक् विचारोपरांत परिषद ने उक्त बैठक की कार्यवाही के विवरण का अनुमोदन किया।

पर्यटन आतिथ्य एंव होटल प्रबंध विद्याशाखा द्वारा प्रस्तुत कार्यसूची के बिन्दुओं से परिषद अवगत हुई तथा परिषद ने निर्देशित किया कि इन

समस्त बिन्दुओं को सम्बन्धित पाठ्य समिति की बैठकों की संस्तुति के उपरांत तथा विश्वविद्यालय के तत्सम्बन्धि नियमों के अंतर्गत बनाकर विद्या परिषद की अगली बैठक में पुन: प्रस्तुत किया जाय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक सम्पन्न हुई।

(लक्ष्मण सिंह रावत)
कुलसचिव/सचिव विद्या परिषद
कुल सचिव
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी (नैनीताल)

प्रो० सु[illegible]
कुलपति
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय
हल्द्वानी जिला-नैनीताल (उत्तराखण्ड)